**भारत सरकार**
**विद्युत मंत्रालय**
**....**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या-3721**
**जिसका उत्तर 23 मार्च, 2023 को दिया जाना है।**

**जनजातीय बहुल ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति**

**3721. श्रीमती हिमाद्री सिंह:**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जनजातीय बहुल ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या शहडोल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बिजली उपलब्ध कराने की कोई नई परियोजना विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री**
**(श्री आर.के. सिंह)**

**(क) :** जनजातीय बहुल ग्रामीण क्षेत्रों सहित सभी उपभोक्ताओं को पर्याप्त विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए आवश्यक उपाय करना संबंधित वितरण यूटिलिटी की प्रमुख जिम्मेदारी है। भारत सरकार समय-समय पर शुरू की गई विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत राज्यों को वित्तपोषण मुहैया कराते हुए राज्यों के प्रयासों में सहयोग कर रही है।

**(ख) से (ङ) :** भारत सरकार ने मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में वितरण प्रणालियों के सुदृढीकरण और गांवों के विद्युतीकरण के लिए दिसंबर, 2014 में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) शुरू की। डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत दिनांक 28 अप्रैल, 2018 तक 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के गांवों सहित सभी आवासित गैर-विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण किया गया था। डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत, मध्य

प्रदेश के 422 गाँवों सहित देश भर में कुल 18374 गाँवों का विद्युतीकरण किया गया था। यह स्कीम दिनांक 31.03.2022 को बंद हो गई थी।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों में सभी इच्छुक गरीब घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करके सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से अक्टूबर, 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य की शुरुआत की। दिनांक 31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार, दिनांक 31.03.2019 से पहले पहचाने गए पहाड़ी क्षेत्रों सहित, सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों का 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया गया है। सौभाग्य और डीडीयूजीजेवाई (नई) स्कीमों के अंतर्गत दिनांक 31-3-2022 तक की स्थिति के अनुसार कुल 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

मध्य प्रदेश में, दिनांक 31-3-2022 तक, कुल 19,84,264 घरों का विद्युतीकरण किया गया था। सौभाग्य स्कीम दिनांक 31-03-2022 को बंद हो गई थी।

इसके अतिरिक्त, सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत, दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित घरों के लिए सोलर रूफ टॉप के माध्यम से विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान था। सौभाग्य और डीडीयूजेवाई(नई) के अंतर्गत, दूरस्थ क्षेत्रों में सौर ऊर्जा प्रणाली की संस्थापना के माध्यम से कुल 4,70,415 घरों का विद्युतीकरण किया गया है।

हाल ही में, भारत सरकार ने मध्य प्रदेश सहित, देश में वित्तीय रूप से स्थायी और प्रचालनात्मक रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार करने के उद्देश्य से, जुलाई, 2021 में एक नई संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की। इस स्कीम का परिव्यय 3,03,758 करोड़ रुपये है और केंद्र सरकार से अनुमानित जीबीएस 97,631 करोड़ रुपये है।

इस स्कीम के अंतर्गत, एबीसी केबल/यूजी केबल/एचवीडीएस आदि के उपयोग से हानियों और चोरी को कम करने, स्काडा, सम्प्रेषणयोग्य प्रणाली मीटरिंग और 25 करोड़ उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट प्री-पेड मीटरिंग आदि सहित प्रणाली आधुनिकीकरण के लिए वितरण अवसंरचना संबंधी उपायों के उन्नयन हेतु पात्र डिस्कामों अर्थात सभी डिस्कामों/विद्युत विभागों (निजी क्षेत्र के डिस्कामों को छोड़कर) को वित्तीय सहायता उपलब्ध है।

**********